[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2019

का.नि.आ..........(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना वेतन नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना वेतन (संशोधन) नियम, 2019 है ।

   (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. सेना वेतन नियम, 2017, के नियम 5 के, उप नियम (3) के, खंड (V) के स्थान निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात -

   "(V) मंहगाई भत्ता और पेंशन की संगणना के प्रयोजन के लिए समूह 'X' वेतन को वेतन के रूप में संगणित किया जाएगा"।

[सं. 1(9)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) पार्ट-II]

एम. सुब्बारायन

(एम. सुब्बारायन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

स्पष्टीकारक ज्ञापन - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है । इस प्रकार भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन संशोधन के लिए पात्र हैं । तद्‌नुसार उक्त नियमों को 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण:- सेना वेतन नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 9(अ) तारीख 3 मई, 2017 द्‌वारा प्रकाशित किए गए थे ।